

प्रेस नोट दि०-10.07.2025

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

➡ पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने व एससी एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित मुख्य आरोपी सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व में 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

➡ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 25 - 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

➡ 25 - 25 हजार के 04 इनामिया वांछित अभियुक्त थाना कोहंडौर पुलिस की गिरफ्त में-

➡ थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को भिन्न-भिन्न स्थानों से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 06.07.2025 को वादिनी व वादिनी के परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा लाठी डंडा से मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने आदि के प्रकरण में थाना कोहंडौर पर मु.अ.स. 105/25 धारा 3 (5)/191(2)/191 (3)/115 (2)/352/351(3)/109(1) BNS व 3(1)द / 3(1) ध / 3(2)5 क/3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम 12 नामजद व 06 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के नेतृत्व में थाना कोहंडौर थानाध्यक्ष धनन्जय राय मय हमराह उ०नि० राज कुमार मिश्रा, का० विपिन कन्नौजिया, का० मनीष कुमार यादव, का० गौरव तिवारी, चालक का० सौरभ सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोहंडौर में पंजीकृत मु०अ०स० 105/25 धारा-109 (1)/191 (2)/191 (3)/3(5)/74/115(2)/352/351 (3)/103 (2) बीएनएस. व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (1)ब, 3 (2)VA, 3(2) एससी/एसटी एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तों 01. विनोद मिश्रा पुत्र मनोज कुमार मिश्रा उर्फ काते निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़, 02. नीतेश कुमार दुबे उर्फ मुकुन्द पुत्र सुनील कुमार दुबे उर्फ पिन्टू निवासी सुन्दरिया का पुरवा सूर्यगढ़ थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़, 03. प्रिंस मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र अनूप कुमार मिश्रा उर्फ आले निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़, 04. रंजीत कुमार दुबे पुत्र रवीन्द्र भूषण

दुबे निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोहडौर क्षेत्रान्तर्गत भिन्न-भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. विनोद मिश्रा पुत्र मनोज कुमार मिश्रा उर्फ काते निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. नीतेश कुमार दुबे उर्फ मुकुन्द पुत्र सुनील कुमार दुबे उर्फ पिन्टू निवासी सुन्दरिया का पुरवा सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
03. प्रिंस मिश्रा उर्फ छोटू पुत्र अनूप कुमार मिश्रा उर्फ आले निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
04. रंजीत कुमार दुबे पुत्र रवीन्द्र भूषण दुबे निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. सर्वेश मिश्रा उर्फ बन्ने मिश्रा पुत्र स्व. राजनारायण मिश्रा निवासी धनुपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर ।
02. आजाद मिश्रा पुत्र मूलचन्द्र मिश्रा उर्फ कप्तान निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
03. आकाश मिश्रा राम मिश्रा निवासीग पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
04. चुन्नू मिश्रा पुत्र राम मिश्रा निवासीग पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
05. अनुज दुबे पुत्र रविंद्र भूषण दुबे निवासी पूरे कुमार थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
06. आकाश मिश्रा उर्फ राकी मिश्रा पुत्र रामू मिश्रा निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थानाध्यक्ष धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 राज कुमार मिश्रा, का0 विपिन कन्नौजिया, का0 मनीष कुमार यादव, का0 गौरव तिवारी, चालक का0 सौरभ सिंह थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

➡ प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡ थाना अन्तू पुलिस द्वारा आतंकवादी कृत्य, दंगा, मारपीट धमकी व झूठी गवाही के अभियोग से संबंधित

01 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ थाना अन्तू पुलिस द्वारा थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत बालापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपीगणों द्वारा वादी की जमीन के पिलर आदि उखाड़ फेंक कर कब्जा कर लेने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू पर दिनांक-04.06.2025 को मु0अ0स0- 183 / 25 धारा 191(2),119 (1),113,351(3) बीएनएस बनाम 09 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 पारसनाथ, का0 अवधेश यादव, का0 अंकित यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना अन्तू में पंजीकृत मु0अ0स0 183 / 25 धारा 191(2),119 (1),113,351(3) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त जगदीश नारायण मिश्रा पुत्र गंगा प्रसाद नि0 मनोरथपुर बालापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत बालापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जगदीश नारायण मिश्रा पुत्र गंगा प्रसाद नि0 मनोरथपुर बालापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 पारसनाथ, का0 अवधेश यादव, का0 अंकित यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

- ➡ प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
- ➡ थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- ➡ अभियुक्त को थानाक्षेत्र लालगंज के राजेन्द्र नगर चौराहा के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में दिनांक- 11.06.2025 को अंतर्गत धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह कां0 राहुल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध

व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग/ विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अमरजीत सरोज पुत्र बसंतलाल सरोज नि0 ग्राम महासीनपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र लालगंज के राजेन्द्र नगर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.अमरजीत सरोज पुत्र बसंतलाल सरोज नि0 ग्राम महासीनपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह कां0 राहुल यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

- ➡बीट आरक्षी अमर कुशवाह की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार
- ➡थाना लालगंज के बीट आरक्षी अमर कुशवाह ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
- ➡बीट आरक्षी अमर कुशवाह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
- ➡एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना लालगंज के बीट आरक्षी अमर कुशवाह को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र
- ➡थाना लालगंज पुलिस द्वारा बसन्तगंज चौराहा से गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- ➡गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त मारपीट, धमकी, गुण्डा एक्ट, हत्या व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी अमर कुशवाह के सहयोग से थाना लालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-240/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त अम्बिकेश तिवारी पुत्र छेदीलाल तिवारी उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम वीरसिंहपुर, जंगल, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ को बसन्तगंज चौराहा से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-मु0अ0सं0-23/08 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

2-मु0अ0सं0-169/09 धारा 110जी सीआरपीसी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

3-मु0अ0सं0-317/24 धारा 103(1)/109(1)/324(4)/351 (3)/61(2) बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

4- मु0अ0सं0 240/25 धारा 2/3 गैरेस्टर एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह कां० सुमित शर्मा, कां० यतेन्द्र कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

➡प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

➡अभियुक्त को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत गीतानगर हरिपालमऊ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 विकास निषाद मय हमराह उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय, उ0नि0 राजेश सिंह यादव कां० धुर्वेश कुमार, कां० सुजीत यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 10.07.2025 को 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त राजेश पाल उर्फ सुशील पाल उर्फ सर्किट पुत्र विजय शंकर पाल नि०ग्राम भोजेमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत गीतानगर हरिपालमऊ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त के पास से 04 अदद अवैध देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 147/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजेश पाल उर्फ सुशील पाल उर्फ सर्किट पुत्र विजय शंकर पाल नि०ग्राम भोजेमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01- राजेश पाल उर्फ सुशील पाल उर्फ सर्किट पुत्र विजय शंकर पाल नि०ग्राम भोजेमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

1-मु०अ०सं०-01/2016 धारा 60 EX Act थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2-मु०अ०सं०-34/2020 धारा 379/411/419/420 भादवि० थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर ।

3-मु०अ०सं०-35/2020 धारा 379/411/419/420 भादवि० थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर ।

4-मु०अ०सं०-36/2020 धारा 379/411/419/420 भादवि० थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर ।

5-मु०अ०सं०-38/2020 धारा 41/411 भादवि० थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर ।

6-मु०अ०सं०-69/2020 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप नि०अधि० थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर ।

7-मु०अ०सं०-457/2019 धारा 356/379/411 भादवि० थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर ।

8-मु०अ०सं० 147/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

04 अदद अवैध देशी बम ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० विकास निषाद मय हमराह उ०नि० प्रभांशु कुमार राय, उ०नि० राजेश सिंह यादव, कां० धुर्वेश कुमार, कां० सुजीत यादव ।